लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

नकल (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश–2008

यह अध्यादेश लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा सम्पन्न करायी जा रही समस्त परीक्षाओं पर दिनांक 01.03.2008 से लागू होगा।

अध्यादेश–2008

1: परीक्षा केन्द्र का तात्पर्य विश्वविद्यालय परीक्षा केन्द्र अथवा लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा किसी महाविद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने से है।

2: परीक्षार्थी का तात्पर्य ऐसे अभ्यर्थी से है, जो लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर अथवा सम्बद्ध महाविद्यालय अथवा घटक महाविद्यालय में अध्ययनरत अथवा पूर्व छात्र (एग्जमप्टेड,बैक पेपर एवं इम्प्रूमेन्ट) के रूप में लखनऊ विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है।

3: किसी परीक्षार्थी के द्वारा, जबकि वह परीक्षा में प्रश्नपत्र का उत्तर दे रहा हो, अनुचित साधन का प्रयोग करके, या अन्य परीक्षार्थी की सहायता से नकल करने अथवा नकल कराने से है। नकल (अनुचित साधन) का तात्पर्य अप्राधिकृत रूप से किसी व्यक्ति की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहायता से या किसी रूप में लिखित, अंकित (रिकार्डेड), प्रतिलिपिकृत या मुद्रित किसी सामग्री की सहायता से या किसी टेलीफोन, मोबाइल, वायरलेस या इलेक्ट्रानिक्स या अन्य यंत्र या जुगत के अप्राधिकृत प्रयोग से है।

4: कोई भी परीक्षार्थी किसी भी परीक्षा केन्द्र / परीक्षा में नकल सामग्री (अनुचित साधनों) को न ही लायेगा और न ही उसका प्रयोग करेगा।

5: कोई भी व्यक्ति, जिसे अपने कर्तव्य पालन के सम्बन्ध में ऐसा करने के लिए प्राधिकार या अनुज्ञा विधिपूर्वक प्राप्त नही है, प्रश्नपत्र का बंडल खोलते समय उपस्थित नही रहेगा।

6:(अ) कोई भी व्यक्ति प्राधिकार प्राप्त या अनुज्ञा विधि पूर्वक प्राप्त ऐसे प्रश्नपत्र या उसके किसी भी भाग को या उसकी किसी प्रतिलिपि को बिना आदेश किसी को हस्तगत नही करेगा।

(ब) न ही ऐसी कोई सूचना किसी को देगा या देने का प्रयास करेगा जो इस अध्यादेश के उद्देश्यों के विरूद्ध हो।

(स) जिसे परीक्षा से सम्बन्धित कोई कार्य सौंपा जायें, ऐसी स्थिति के सिवाय जिसमें उसे अपने कर्तव्यों के पालन के सम्बन्ध में ऐसा करने की अनुज्ञा दी गई हो, ऐसी सूचना या उसके भाग की जो उसे इस प्रकार सौंपे गये कार्य के आधार पर उसकी जानकारी में आई हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न तो प्रकट करेगा और न ही प्रकट करायेगा और न ही अन्य किसी व्यक्ति को उसकी जानकारी देगा।

7: कोई व्यक्ति, जिसे परीक्षा से सम्बन्धित कोई कार्य न सौंपा गया हो, या जो उस दिन/पाली की परीक्षा के समय परीक्षार्थी न हो, परीक्षा के जारी रहने के मध्य परीक्षा केन्द्र में न तो प्रवेश करेगा, और न ही ऐसे केन्द्र में प्रवेश का प्रयास करेगा।

8: कोई व्यक्ति महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र, में होते हुए अथवा विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के कर्मचारी होते हुए, परीक्षा केन्द्र के अन्दर बिना अनुमति और अनुज्ञा के न तो प्रवेश करेगा और न ही परीक्षा सम्बन्धी किसी प्रकार की किसी विद्यार्थी की अनुचित सहायता या सहयोग प्रदान करेगा।

9: कुलानुशासक, लखनऊ विश्वविद्यालय, कुलपति महोदय की अनुमति से परीक्षा के मध्य परीक्षा कक्ष के अन्दर अथवा परीक्षा केन्द्र का औचक निरीक्षण करने हेतु एक या आवश्यकतानुसार एक से अधिक उड़नदस्ता की नियुक्ति करेगें, जो लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर से कुलानुशासक की अनुमति से विश्वविद्यालय परिसर एवं महाविद्यालयों के परीक्षा केन्द्रो का निरीक्षण करेगें और अपनी रिपोर्ट कुलानुशासक को उपलब्ध करायेगे।

10: परीक्षा के दौरान ड्यूटी पर तैनात सम्बन्धित सभी कक्ष निरीक्षक एवं केन्द्राध्यक्ष नकल रोकने के लिए जिम्मेदार होगें।

11: कक्ष निरीक्षक किसी भी परीक्षार्थी की जो उस कक्ष में परीक्षा में सम्मिलित हो रहा हैं, की जांच कर सकते है या किसी अन्य साधन का प्रयोग करने पर उसे चेतावनी सहित रोकने तथा परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा में नकल करने पर उसे परीक्षा के मध्य ही नोटिस देने एवं उत्तरपुस्तिका एवं नकल सामग्री को अपने अधिकार में लेने और सील कर तुरन्त अधीक्षक, परीक्षा केन्द्र को सौंप देगें तथा शेष समय के लिए परीक्षार्थी को कक्ष निरीक्षक द्वारा दूसरी उत्तरपुस्तिका दी जायेगी।

12: परीक्षा के मध्य कक्ष निरीक्षक के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अधीक्षक परीक्षा केन्द्र अथवा उड़नदस्ते द्वारा पकड़े जाने पर नकल सम्बन्धी उपरोक्त अध्यादेश के बिन्दु 11 के अनुसार कक्ष निरीक्षक कार्यवाही सम्पादित करेगें।

13: परीक्षा केन्द्र पर पकड़े गये समस्त अभ्यर्थियों की उत्तर–पुस्तिका एवं नकल सामग्री कक्ष निरीक्षक, लखनऊ विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के परीक्षा केन्द्र अधीक्षक को सीलबन्द लिफाफे में उपलब्ध करायेंगे। परीक्षा केन्द्र अधीक्षक समस्त उत्तर–पुस्तिका एवं नकल सामग्री परीक्षा नियंत्रक अथवा परीक्षा केन्द्र अधीक्षक, लखनऊ विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायेगें।

14: परीक्षा नियंत्रक,ल0वि0वि0 कुलपति महोदय की अनुमति से एक अथवा एक से अधिक समितियों "जिसमें कम से कम चार सदस्य एवं विषय विशेषज्ञ" की नियुक्ति करायेगें जो परीक्षा में नकल करते पकड़े गये परीक्षार्थियों के पास से प्राप्त उपलब्ध सामग्री व उत्तर–पुस्तिका पर स्कूटनी करने के पश्चात अपनी संस्तुति परीक्षा नियंत्रक को अध्यादेश के बिन्दु 16 में दिये गये प्राविधान के अनुसार उपलब्ध करायेगें।

15: परीक्षा नियंत्रक, समिति द्वारा प्राप्त संस्तुति का अनुमोदन कुलपति अथवा परीक्षा समिति से करायेगें एवं तदोपरान्त निर्धारित दण्ड की सूचना नकल में पकड़े गये समस्त परीक्षार्थियों को पंजीकृत डाक से परीक्षार्थी के स्थायी पते पर भेजेंगे।

क्रमशः पेज–3

16- नकल करने पर पकड़े जाने पर निम्नानुसार दण्ड निर्धारित किया जायेगा:-

क.सं.	नकल का प्रकार	दण्ड
01	परीक्षार्थी द्वारा उत्तर-पुस्तिका में जान बूझकर अपनी पहचान सूचक हस्ताक्षर अनुक्रमांक निशान इत्यादि लगाना	सम्बन्धित वर्ष/सेमेस्टर की सम्पूर्ण परीक्षा निरस्त किया जाना
02	परीक्षार्थी के पास से नकल सामग्री प्राप्त होने पर	परीक्षार्थी की सम्बन्धित वर्ष/सेमेस्टर की परीक्षा निरस्त किया जाना
03	परीक्षार्थी द्वारा नकल करने एवं दूसरे परीक्षार्थी को नकल कराने पर	दोनों परीक्षार्थियों की सम्बन्धित वर्ष/सेमेस्टर की परीक्षा निरस्त किया जाना एवं एक वर्ष के लिए विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय की परीक्षा में बैठने पर रोक।
04	दो परीक्षार्थियों द्वारा नकल के उदेश्य से आपस में बातचीत करने पर	दोनो परीक्षार्थियों की उस दिन के सम्बन्धित पेपर की परीक्षा निरस्त किया जाना। ऐसे परीक्षार्थी बैक पेपर/सुधार हेतु परीक्षा देने के अर्ह नही होगें।
05(अ)	परीक्षार्थी द्वारा नकल में पकड़े जाने पर, नोटिस न लेने अथवा नकल पकड़ने वाले कक्ष निरीक्षक या अधिकारी से अभद्र व्यवहार, धमकाने या परीक्षा कक्ष से भाग जाने पर।	सम्पूर्ण परीक्षा निरस्त एवं विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय से निष्कासन
(ब)	परीक्षार्थी द्वारा उत्तर-पुस्तिका फाड़ने, नकल की सामग्री को नष्ट करने व अन्य परीक्षार्थियों की उत्तर-पुस्तिका फाड़ने, परीक्षार्थियों को परीक्षा का बायकाट करने के लिए प्रेरित करने असलहा लेकर परीक्षा कक्ष में धमकाने पर एवं उत्तर-पुस्तिका के प्रत्यारोपण करने पर	
(स)	एक से अधिक बार सम्बन्धित परीक्षा में नकल में पकड़े जाने पर	
06	परीक्षार्थी द्वारा उत्तर-पुस्तिका लेकर भाग जाने पर (किसी भी स्थिति/स्तर पर)	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जायेगी तथा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से निष्कासन

17: कोई भी कर्मचारी/अधिकारी/शिक्षक, जिसकी ड्यूटी परीक्षा के दिन लगी हो अथवा नही, यदि किसी परीक्षार्थी को नकल कराते अथवा नकल कराने का प्रयास करते पकड़ा जाता है तो उस पर नियमानुसार कार्यवाही होगी।

18: परीक्षार्थी किसी पेपर अथवा विषय में नकल करते पकड़ा जाता है, या धोखाधड़ी करके पेपर अथवा विषय परिवर्तन कराके परीक्षा देता है या परीक्षा देने का प्रयास करता है तो, परीक्षार्थी की सम्पूर्ण परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी। सम्बन्धित परीक्षा प्रारम्भ होने की तिथि के पश्चात पेपर/विषय परिवर्तन की संस्तुति करने वाले अधिकारी व परीक्षा कार्य में पेपर/विषय परिवर्तन करने वाले कर्मचारी के विरूद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही होगी।

19: किसी भी परीक्षा केन्द्र पर, सामूहिक रूप से परीक्षार्थियो द्वारा नकल करने की रिपोर्ट, पर्यवेक्षक अथवा उड़नदस्ता अथवा दोनो द्वारा प्राप्त होने पर, परीक्षा नियंत्रक सम्बन्धित परीक्षा केन्द्र अधीक्षक से आख्या मांगेगे। पर्यवेक्षक/उड़नदस्ता की रिपोर्ट के साथ केन्द्र अधीक्षक की आख्या, परीक्षा नियंत्रक परीक्षा समिति के सम्मुख प्रस्तुत करेगें, तथा परीक्षा समिति, सम्यक विचारोपरान्त, उस कक्ष अथवा केन्द्र के समस्त परीक्षार्थियो की उस पाली की परीक्षा अथवा सम्पूर्ण परीक्षा निरस्त करने का निर्णय लेगी। सामूहिक नकल में आरोपित केन्द्र को, लखनऊ विश्वविद्यालय की काली सूची में डाल दिया जायेगा, तथा उसे कभी परीक्षा केन्द्र (परीक्षा केन्द्र अथवा प्रवेश परीक्षा केन्द्र) नही बनाया जायेगा।